



संख्या-116/2026/993/सैंतीस-2-2026/001-1(65)/03-97397

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2

लखनऊ :: दिनांक-13 मई, 2026

विषय:- पशु/भैंसों में अनुर्वरता एवं बांझपन निवारण की योजना (रा.यो.) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-103/प.-2/1(17)/2026-27, दिनांक-10.04.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-'2403-पशुपालन-102-पशु तथा भैंस विकास-15-पशु/भैंसों में अनुर्वरता एवं बांझपन निवारण' के अन्तर्गत निम्नलिखित मानक मदों में प्राविधानित धनराशि ₹0-250.00 लाख (रूपये दो करोड़ पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

मानक मद	स्वीकृत धनराशि (लाख में)
04-यात्रा व्यय	10.00
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	9.50
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	50.00
18-प्रकाशन	0.50
39-औषधि तथा रसायन	160.00
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	20.00
योग-	250.00

(रूपये दो करोड़ पचास लाख मात्र)

- स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा पूर्ण विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग द्वारा संभावित व्यय को एक मुश्त आहरित न करके फेजिंग के अनुसार किया जाये।
- किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय।
- स्वीकृत की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद/योजना/कार्यक्रम में व्यय अनुमन्य न होगा।
- विज्ञापन, प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसार के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं सूचना विभाग के निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आवंटन/हस्तान्तरण संबंधित जनपदों को नियमानुसार उनके द्वारा प्राप्त मांग के अनुरूप (जैसी स्थिति हो) सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा समय-समय पर प्रगति से शासन को भी अवगत कराया जायेगा।
 7. विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।
 8. योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय 30प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, 30प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 एवं विभागीय क्रय नीति (जेम) का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
 9. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य/मद हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना अथवा कार्यक्रम में सम्मिलित है।
 10. प्रश्नगत धनराशि का आवंटन आय-व्ययक में उपलब्ध बजट के दृष्टिगत किया जा रहा है। धनराशि का नियमानुसार व्यय किये जाने हेतु निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
 11. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग एतद्विषयक शासकीय दिशा-निर्देशों एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
 12. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 13. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28.03.2026 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय **लेखाशीर्षक: 2403001021500 (पशु / भैंसों में अनुर्वरता एवं बांझपन निवारण)**

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	015	2403001021500 पशु / भैंसों में अनुर्वरता एवं बांझपन निवारण	04 यात्रा व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
2	015	2403001021500 पशु / भैंसों में अनुर्वरता एवं बांझपन निवारण	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	9,50,000 (रुपये नौ लाख पचास हजार मात्र)
3	015	2403001021500 पशु / भैंसों में अनुर्वरता एवं बांझपन निवारण	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
4	015	2403001021500	18	50,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

		पशु / भैसों में अनुर्वरता एवं बांझपन निवारण	प्रकाशन	(रुपये पचास हजार मात्र)
5	015	2403001021500 पशु / भैसों में अनुर्वरता एवं बांझपन निवारण	39 औषधि तथा रसायन	1,60,00,000 (रुपये एक करोड़ साठ लाख मात्र)
6	015	2403001021500 पशु / भैसों में अनुर्वरता एवं बांझपन निवारण	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
	कुल			2,50,00,000 (रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र)

महायोग	2,50,00,000 (रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र)
---------------	---

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)

विशेष सचिव।

पु0सं0-116/2026/993(1)/सैंतीस-2-2026/001-1(65)/03-97397. तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।